5

CN-230409/14

शशांक शेखर सिंह, लोकपाल, मनरेगा, पूर्णियाँ–सह–सुपौल द्वारा सुपौल प्रखण्ड, जिला – सुपौल अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित शिकायत वाद संख्या – ..... 3/2014 में निर्गत अधिनिर्णय की प्रति :–

दिनांक 31.05.2014 :– इस वाद अभिलेख की कार्यवाही कर्णपुर पंचायत के जॉबकार्डधारी मनरेगा श्रमिकों की मौखिक शिकायत पर स्वतः प्रारंभ की गयी। कुल 23 मनरेगा श्रमिकों ने अपने जॉबकार्ड के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि उनके द्वारा काम की मांग किये जाने पर भी उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है।

उपस्थित मजदूरों के नाम निम्नवत् हैं :–

1. श्री सीताराम साह 2. श्री सतोष शर्मा 3. श्री विन्देश्वरी शर्मा 4. श्री शनिचर मंडल 5. श्री शत्रुघ्न मंडल 6. श्री बालेश्वर मंडल 7. श्रीमति ननकी देवी 8. श्री [illegible] शर्मा 9. बुचिया देवी 10. श्री जितेन्द्र कुमार 11. अनंतलाल मंडल 12. श्री प्रदीप साह 13. श्रीमति गिरजा देवी 14. श्री पिन्टू कुमार 15. श्री गजेन्द्र साह 16. श्री जीयराम साह 17. जयमाला देवी 18. मसो0 चन्द्रकला देवी 19. श्री कपलेश्वर साह 20 सांझा देवी 21. श्री किशोर मंडल 22. नीतू देवी 23 कपलेश्वर 24. राजकुमार के मौखिक रूप से प्राप्त शिकायत पर कार्यालय पत्रांक 15 दिनांक 13.03.2014 से कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल को निदेशित किया गया कि कर्णपुर पंचायत में उक्त सामायियों की शिकायत का निपटारा (तमरागंमक) कर अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करें।

कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा कार्यालय पत्रांक 147 दिनांक 28.03.2014 से सूचित किया गया कि "कर्णपुर पंचायत अंतर्गत शिकायतकर्त्ता जॉबकार्डधारियों द्वारा किये गये आवेदन के आलोक में पंचायत स्तर से समुचित कार्रवाई की जा रही है जिसकी लिखित सूचना पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा कार्यालय, सुपौल में दी गयी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी गयी।

पंचायत रोजगार सेवक द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रेषित प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि शिकायतकर्त्ता मजदूरों में से चार मजदूर 1 रामरतन पासवान 2. बालेश्वर मंडल 3. राजेन्द्र शर्मा तथा 4. योगेन्द्र मंडल का बैंक खाता खुला हुआ था जिन्हें काम उपलब्ध करा दिया गया । परन्तु सूचना के बावजूद वे काम पर उपस्थित नहीं हुए। सूचना की छायाप्रति संलग्न की गयी। शेष मजदूरों के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि उनका बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं रहने के कारण दिनांक 15.03.14 एवं 22.03.2014 को मरीचा में कैम्प लगाकर खाता खोलने हेतु फार्म भरा गया। जैसे ही खाता खुल जाता है उन मजदूरों को काम उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मेरे कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर भी इस आशय की सूचना दी गयी।

अतः पंचायत रोजगार सेवक कर्णपुर पंचायत को निदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्त्ता जॉबकार्डधारियों का बैंक खाता एक सप्ताह के अन्दर खोलकर काम की मांग आवेदन प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर काम मुहैया कराना

सुनिश्चित करेंगे। अपस्थित जॉबकार्डधारियो में से कई एक शिकायतकर्त्ता भी थे। जो नाबालिग थे तथा जॉब कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं ऐसे जॉबकार्ड निरस्त करने की कारवाई भी करेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा इस आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन किया गया है। साथ ही action taken report अधोहस्ताक्षरी को एक माह के भीतर देना सुनिश्चित करें।

लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ सह सुपौल।

ज्ञापांक ..../लोकपाल, दिनांक ..../14

प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ सह सुपौल।

31

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा), सुपौल

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत / मामलों के निष्पादन से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

जिला का नाम :– सुपौल

माह:– अक्टुबर, 2014

क्र0	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायता) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible] शेखर सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	01	—	01	—	—	सुपौल जिला का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 25.11.2013 को प्राप्त किया गया है। सामान्य नागरिकों में लोकपाल मनरेगा के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। कार्यक्रम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त मामले	वित्तीय वर्ष 2013–14 में निष्पादित मामले
03	02
प्रारंभ से अब तक प्राप्त मामले	निष्पादित मामले
04	03

ज्ञापांक .... दिनांक ..../2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

लोकपाल (मनरेगा)

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा), सुपौल

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत/मामलों के निष्पादन से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

जिला का नाम :– सुपौल

माह:– नवम्बर, 2014

[illegible]	[illegible] का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायतों) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7	8
1	शशांक शेखर सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	01	–	01	–	–	सुपौल जिला का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 25.11.2013 को प्राप्त किया गया है। सामान्य नागरिकों में लोकपाल मनरेगा के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। कार्यक्रम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त मामले	वित्तीय वर्ष 2013–14 में निष्पादित मामले
03	02
प्रारंभ से अब तक प्राप्त मामले	निष्पादित मामले
04	03

ज्ञापांक .... दिनांक ..../2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्णियाँ–सह–सुपौल।

सचिव कोषांग ★ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना ★ 11 DEC 2014

कार्यालय, लोकपाल, मनरेगा

जिला – सुपौल

दिनांक 02.12.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक हेतु प्रतिवेदन

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा) सुपौल

वित्तीय वर्ष 2013–14

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत/मामलों के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

कुल प्राप्त परिवादों की संख्या	कुल निष्पादित मामलों की संख्या	कुल लंबित मामले	ATR की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
03	02	01	संलग्न	सुपौल जिला का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 25.11.2013 को प्राप्त किया गया है। सामान्य नागरिकों में लोकपाल मनरेगा के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। कार्यक्रम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ सह सुपौल

लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार

1. शिकायत वाद संख्या – 01/2013–14

आरोप – प्रतापगंज प्रखण्ड के सुरजापुर पंचायत के परिवादकर्त्ता का आरोप कि पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया द्वारा जॉबकार्ड अपने पास रख लिया जाता है। काम की मांग का आवेदन नहीं दिया जाता है। रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

आदेश का सार – कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रतापगंज से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पंचायत रोजगार सेवक के विरूद्ध अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगाते हुए अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा की गयी। पंचायत रोजगार सेवक ने भी कार्यक्रम पदाधिकारी के विरूद्ध कई गंभीर आरोप लगाये हैं। दोनों मनरेगा कर्मी द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध आरोप–प्रत्यारोप के कारण पंचायत के मनरेगा कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आरोप–प्रत्यारोप की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी की जाँच टीम गठित कर दोषी कर्मी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। साथ ही दोनों कर्मियों को अलग–अलग प्रखण्डों में स्थान्तरण की अनुशंसा भी की गयी ताकि मनरेगा कार्य बाधित नहीं हो पाये।

2. शिकायत वाद संख्या – 02/2013–14

आरोप – कर्णपुर पंचायत प्रखण्ड सुपौल के श्री शंभू परिवादकर्त्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि कर्णपुर पंचायत के मरीया ग्राम में सड़क में मिट्टी भराई में ट्रैक्टर द्वारा काम किया जा रहा है।

आदेश – कार्यक्रम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवदेन की मांग की गयी। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि यह कार्य मनरेगा योजना का न होकर चतुर्थ वित्त आयोग से कराया जा रहा है।

चूँकि मामला मनरेगा से संबंधित नहीं है, अतः वाद की कार्रवाई बंद कर दी गयी।

29/11/2014

लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ–सह–सुपौल

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा) सुपौल

वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह नवम्बर तक

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत/मामलों के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

कुल प्राप्त परिवादों की संख्या	कुल निष्पादित मामलों की संख्या	कुल लंबित मामले	ATR की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01+01=02	01	01	संलग्न	सुपौल जिला का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 25.11.2013 को प्राप्त किया गया है। सामान्य नागरिकों में लोकपाल मनरेगा के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। कार्यक्रम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

29/11/2014

लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ सह सुपौल

लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार

1. शिकायत वाद संख्या – 03/2013–14

आरोप – जॉबकार्डधारियों की शिकायत है कि उन्हें काम की माँग करने पर भी काम नहीं दिया जाता है।

आदेश का सार – पंचायत रोजगार सेवक को आदेश दिया गया कि सभी जॉबकार्डधारी से काम की मांग प्राप्त कर अविलम्ब काम उपलब्ध करावें। साथ ही जिनके बैंक खाता नहीं खुले हैं उनके बैंक खाता भी अविलम्ब खोलने की कार्यवाही की जाय। कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल को व्यक्तिगत जिम्मेवारी दी गयी कि आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन करावें।

27/11/2014

लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ–सह–सुपौल